बिहार सरकार
परिवहन विभाग

मार्गदर्शिका

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025

निर्वाचन कार्य में काफी संख्या में मतदान कर्मियों/अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के त्वरित आवागमन तथा निर्वाचन से जुड़े चुनाव सामग्रियों की ढुलाई एवं परिचालन तथा अन्य कार्यो के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुरूप सरकारी वाहनों से इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण निर्वाचन के सफल एवं निर्बाध संचालन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–160 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के परिचालन एवं मुआवजा भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए परिवहन विभाग एवं निर्वाचन विभाग से निर्गत निदेशों के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(1) निर्वाचन विभाग के वेबसाईट https://ceoelection.bihar.gov.in के DEO's Portal में Vehicle Management System (VMS) का उपयोग Online प्रविष्टि हेतु किया जायेगा एवं सभी कार्य अनिवार्य रूप से System Generated किये जायेंगे।

(2) परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, वाहनों के परिचालन, मुआवजा भुगतान, वाहन अधिग्रहण, में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा वाहन कोषांग के संबंध में निर्गत आदेशो/पत्रों/परिपत्रों को निर्वाचन विभाग के वेबसाईट https://ceoelection.bihar.gov.in के Vehicle Management Systems से Download किया जा सकता है।

(3) <u>निर्वाचन कार्य हेतु वाहनों का आकलन</u>:-निर्वाचन हेतु वाहनों का आकलन जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों/सेकटर/जोन/अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर व्यवहारिक तरीके से किये जायेंगे तथा निर्वाचन विभाग के वेबसाईट

https://ceoelection.bihar.gov.in के DEO's Portal में जाकर Vehicle Management System के District Profile में इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

(4) **<u>वाहनों का अधिग्रहण पत्र निर्गत करना</u>:**–Vehicle Management System (VMS) में सभी जिलों के निबंधित वाहनों के मास्टर डाटा की प्रविष्टि कर दी गई है। प्रभारी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग निर्वाचन विभाग से Vehicle Management System का Password अपने स्तर से प्राप्त करेंगे एवं VMS के Requisition menu में जाकर उसके माध्यम से Online System Generated अधिग्रहण पत्र (Requisition Slip) (प्रपत्र–1) Download करेंगें।

अधिग्रहण पत्र को विहित प्रक्रिया अपनाकर प्रखंड/अंचल/थाना के माध्यम से वाहनों के मालिकों को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे तथा तामिला प्रतिवेदन कार्यालय में संरक्षित रखेंगे।

(5) **<u>वाहन कोषांग का गठन</u>:**– बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में वाहनों के अधिग्रहण से लेकर उनके परिचालन तक की प्रविष्टि एवं विमुक्ति आदेश अनिवार्यतः VMS से Generated ही निर्गत किया जायेगा, ताकि VMS की प्रविष्टि एवं लॉगबुक की प्रविष्टि में भिन्नता नहीं परिलक्षित हो। निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों के किसी भी जांच में VMS की प्रविष्टि एवं लॉगबुक की प्रविष्टि में किसी प्रकार की भिन्नता को गंभीरता से लिया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी अपने जिले के अनुभवी एवं कर्मठ पदाधिकारियों एवं कार्मियों को वाहन कोषांग में प्रतिनियुक्त करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि Vehicle Management System (VMS) के District Profile में किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् किसी भी वाहन का Back Date Entry नहीं किया जाएगा।

वाहन कोषांग में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की भी प्रतिनियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को Vehicle Management System के संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

प्रत्येक जिले में अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के लिए अलग से वाहन कोषांग में कर्मचारियों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को कर्णांकित करते हुए प्रतिनियुक्त किया जायेगा एवं पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी।

(6) अनुमण्डल/डिस्पैच सेंटर/प्रखण्ड स्तर पर कोषांग:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी आवश्यकतानुसार विधान सभावार अथवा अनुमण्डल अथवा डिस्पैच सेन्टर या प्रखण्ड स्तर पर वाहन कोषांग का गठन करेंगे एवं निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का VMS में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे ।

(7) <u>वाहन कोषांग में आवश्यक व्यवस्था</u> :-निर्वाचन के अवसर पर वाहन कोषांग 24x7 घंटे कार्यरत रहता है, इसलिए वाहन कोषांग में वाटर प्रूफ टेन्ट (water proof tent) की व्यवस्था, कर्मियों/चालकों/सहचालकों हेतु संतोषजनक अस्थायी आवासन की व्यवस्था, पानी, शौचालय, रौशनी, टेलीविजन, ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) तथा प्राथमिक चिकित्सा हेतु न्यूनतम चिकित्सा सामग्री सहित रोस्टर के अनुसार चिकित्सक/चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। कोषांग में सामान्यत: चालकों एवं सहचालकों की काफी भीड़ होती है एवं कई जिलों में कोषांग निर्जन/सुदूरवर्ती स्थानों पर कार्यरत रहता है, जिससे कर्मियों को भोजनादि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतएव कोषांग में भुगतान के आधार पर भोजन व्यवस्था हेतु अस्थायी भोजनालय/होटल/ठेला वेण्डरों की व्यवस्था की जाय ।

(8) <u>वाहन कोषांग का संचालन</u> :-वाहनों के भौतिक रूप से अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ होने पर कोषांग में वाहनों का आगमन प्रारम्भ हो जाता है। किसी भी स्थिति में पोलिंग कार्य हेतु अधिग्रहित हाने वाले वाहनों का अधिग्रहण निर्वाचन की तिथि के चार दिन पूर्व से अधिक की अवधि (P-4) में नहीं किया जाएगा। वाहन कोषांग से सामान्यतः मतदान दल, सेक्टर, उड़नदस्ता (Flying Squad), SST, CPF एवं प्रेक्षकों के वाहनों को ही ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। मतदान दल/FST/SST के वाहनों में GPS System का Installation किया जाएगा ताकि बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसके इतर अगर वाहन कोषांग में किसी अन्य विभाग का लॉगबुक खोला जाता है, तो उसके लिए प्रमण्डलीय आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

आपात स्थिति के अतिरिक्त सामान्य रूप से कोषांग में वाहनों के आगमन के लिए एक ही प्रवेश द्वार रखा जाए। वाहनों में प्रवेश के समय प्रत्येक वाहन के लिये चालक को गेट पास की दो प्रतियाँ दी जायेगी। इस गेट पर वाहन

के प्रवेश की तिथि, समय, वाहन का प्रकार, वाहन का निबंधन संख्या कोषांग के कर्मी द्वारा अंकित किया जायेगा। गेट पास की शेष प्रविष्टियां यथा – वाहन के ईंधन का प्रकार, वाहन के मालिक/संचालक एवं ड्राईवर का नाम, पता एवं मोबाईल संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन मालिक/संचालक का बैंक डिटेल्स यथा – खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम एवं IFSC कोड चालक से दो प्रतियों में प्रविष्ट कराकर ले लिया जायेगा। साथ ही दोनों प्रतियों को हस्ताक्षरित एवं मुहरित कराया जायेगा। एक हस्ताक्षरित/मुहरित प्रति वाहन चालक को वापस कर दिया जायेगा एवं दूसरी प्रति VMS की प्रविष्टि के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। दोनों प्रतियों पर वाहन के चालक/संचालक का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जायेगा। यदि चालक को इन प्रविष्टियों को भरने में कठिनाई होती है तो वाहन कोषांग के कर्मी स्वयं प्रविष्टि करेंगे एवं संचालक/चालक को पढ़ के सुनाकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे। बैंक डिटेल्स की त्रुटिरहित होने के लिये वाहन स्वामी/संचालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति प्राप्त करना उपयुक्त होगा।

कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सिस्टम द्वारा Auto Generated Log Book No. एवं वाहन विवरणी (Vehicle Detail) Download कर उसकी एक प्रति Log Book पर चिपका दी जायेगी तथा एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिए संरक्षित रखी जायगी। अधिग्रहित वाहनों का VMS के Report menu में जाकर System Generated **'पंजी-1' (वाहन अधिग्रहण पंजी प्रारूप)** Download की जायेगी।

जिला स्तरीय वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी VMS में प्रतिदिन ईंधन के स्थानीय दरों की प्रविष्टि करते रहेंगे।

(९) <u>अधिग्रहित वाहनों के मुआवजे का भुगतान</u> :- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के मुआवजे का भुगतान परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अद्यतन पत्र के आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन कार्य में कुछ वाहन जिस जिले द्वारा अधिग्रहीत किये जाते हैं उनका परिचालन उसी जिला में होकर विमुक्ति भी उसी जिले द्वारा कर दिया जाता है, जबकि कुछ वाहन (विशेषतया अर्द्ध सैनिक एवं पुलिस बल के प्रयोजनार्थ) एक जिले में प्रयोग के उपरांत अगले जिले में भी उपयोग हेतु भेज दिये जाते हैं। इस प्रकार वाहन के निर्वाचन कार्य से अंतिम रूप से विमुक्ति/छूटने पर शेष मुआवजा भुगतान/समायोजन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जायेगी –

(i) वाहन के अधिग्रहण के उपरांत वाहन चालक को जिला स्तर से दिये जाने वाले लॉग बुक में भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से अंकित की जानी चाहिए। इस हेतु इस मार्गनिर्देशिका के मुआवजा भुगतान संबंधी अंश लॉगबुक के पृष्ठ भाग पर अनिवार्य रूप से मुद्रित करा दिया जाए।

(ii) तीन चक्का/चार चक्का एवं ट्रेक्टर के मामले में उनके चालक को प्रतिदिन 300 (तीन सौ) रूपये दैनिक खुराकी के रूप में नकद भुगतान किया जायेगा तथा छः चक्का एवं इसके उपर के वाहनों के लिए चालक एवं सहचालक के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 सौ रूपये दैनिक खुराकी के रूप में नकद भुगतान किया जायेगा । यह भुगतान अग्रिम के रूप में होगा तथा यह गाड़ी के मुआवजे का ही अंश होगा । खुराकी की राशि देय मुआवजे की राशि में समायोजित की जायेगी ।

(iii) अधिग्रहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के अधिकतम 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। अगर कोई वाहन मालिक मतगणना से 90 दिनों की अंदर लॉगबुक जमा नहीं करते हैं, तो भुगतान संबंधित उनका दावा अमान्य होगा। भुगतान संबंधी कार्रवाई निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जायेगी :-

(क) सभी संबंधित जिलों द्वारा आम सूचना के माध्यम से सभी वाहन स्वामी, जिनका वाहन निर्वाचन के दौरान अधिग्रहित किया गया था, के भुगतान प्राप्त करने हेतु एक तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुए सूचित किया जायेगा कि संबंधित वाहन स्वामी विमुक्ति कूपन के साथ ही उपस्थित हों।

(ख) निर्धारित तिथि को संबंधित वाहन स्वामी द्वारा विमुक्ति कूपन उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें विमुक्ति कूपन के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) भुगतान किये गये कुल राशि की प्रविष्टि वाहन पंजी मे Vehicle Management System में करते हुए राशि प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर भी वाहन पंजी एवं Vehicle Management System Generated Slip पर भी प्राप्त किया जाएगा।

(घ) निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार Vehicle Management System के द्वारा Generated Calculation Slip की प्रति को भी वाहन पंजी में संधारित किया जायेगा ।

(ङ) सभी प्राप्त विमुक्ति कूपन अलग से सुरक्षित रखे जायेंगे एवं इन्हें एक रजिस्टर के रूप में बाईंड कराकर संधारित किया जाएगा।

(iv) किसी एक जिला में अधिग्रहित किन्तु विभिन्न जिलों में उपयोग में लाये गये वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(क) प्रत्येक संबंधित जिला उनके यहां प्रयुक्त समय के लिए वाहनों के मुआवजा भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) किसी जिला में अधिग्रहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो यथासंभव उक्त वाहन का 80 % मुआवजा भुगतान करने के बाद उक्त जिला में जाने हेतु ईधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदित करते हुए विमुक्ति पत्र पर अंकित कर देंगे। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेगा। यदि किसी कारणवश पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय संभव नही हो तो विमुक्ति प्रमाण पत्र पर वाहन उपयोग की गणना कर संपूर्ण भुगतेय राशि को अंकित कर दिया जाए, जैसा कि प्रपत्र-II में दर्शाया गया है। एक से अधिक जिलों में उपयोग किये गये वाहन को अंतिम भुगतेय मुआवजा का भुगतान अधिग्रहित करने वाले जिला से किया जाएगा। अंतिम भुगतान से अभिप्राय है कि पूर्व के जिलों में भुगतेय राशि किसी कारणवश पूर्ण भुगतान नहीं हो सका, उक्त राशि को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण राशि का भुगतान वाहन अधिग्रहण करने वाले जिला द्वारा किया जाएगा, जहां से वाहन अधिग्रहित किया गया है। वाहन का प्रयोग किये जाने वाले अंतिम जिला द्वारा वाहन की विमुक्ति किये जाने के समय प्रथम अधिग्रहित जिला में जाने हेतु ईधन की आपूर्ति की जाएगी।

(v) अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान वाहन स्वामी को ऑनलाईन के माध्यम से उनके बैंक के खाते में किया जाएगा। वाहन के परिचालन लंबी अवधि तक होने के स्थिति में अथवा अन्य परिस्थितिजन्य कारण होने पर मुआवजा का भुगतान प्रत्येक तीन दिनों पर बीते तीन दिनों का ऑनलाईन के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) अधिग्रहित वाहनों का दैनिक मुआवजा राशि 80% (निकटतम पूर्णांक में)भुगतान निर्वाचन कर्तव्य पर जाने के पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी प्रविष्टि VMS में की जाएगी।

(क) अधिग्रहित वाहनों के एक जिला से दूसरे जिला में भेजे जाने पर पारगमन अवधि (Transit Period) के मुआवजे की राशि का भुगतान दूसरे जिला (जहां वाहन जाएगी) द्वारा किया जाएगा।

(vii) वाहनों के अधिग्रहण एवं भुगतान की सम्पूर्ण विवरणी, पंजी, प्रपत्रों के संधारण को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ अधिग्रहित वाहनों के संबंध में डाटा एवं भुगतान की स्थिति सुगम रूप में उपलब्ध रहेगी।

(viii) अंकेक्षण कार्य हेतु लॉगबुक, वाहन पंजी निर्वाचन तथा विमुक्ति कूपन समापन के उपरांत संभाल कर रखी जाएगी।

(ix) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा।

(10) **<u>वाहनों के अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में</u>**

(क) **अंतर जिला स्थानान्तरण के दौरान रास्ते में ही वाहन के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में**-सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के अन्तर जिला स्थानान्तरण में अच्छी स्थिति (Condition) वाली गाड़ियों का ही प्रयोग किया जाए। यदि अन्तर जिला स्थानान्तरण के क्रम में कोई वाहन Break Down हो जाता है तो **मार्ग में पड़ने वाला जिला** संबंधित अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों को वाहन उपलब्ध करायेंगे एवं उसका नया Log Book खोलेंगे। साथ ही इसकी सूचना दाता जिला एवं प्राप्तकर्त्ता जिला को देंगे। प्राप्तकर्त्ता जिला खराब वाहन को VMS पर Accept करेंगे एवं Comment Box में घटना का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए वाहन को विमुक्त कर देंगे।

(ख) **अंतर जिला स्थानान्तरण के पश्चात् CAPF/पुलिस बल का गंतव्य (Destination) जिला परिवर्तित होने की स्थिति में**- CAPF/पुलिस बल के पदाधिकारी द्वारा दाता जिला एवं ग्राही जिला दोनों को सूचना दी जायेगी। पुनः दाता जिला एवं ग्राही जिला इस आशय की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी दल द्वारा VMS पर मामले का समाधान किया जायेगा।

(11) **<u>वाहनों में ईंधन की आपूर्ति</u>** :-

(i) अधिग्रहित/सरकारी वाहनों में ईंधन की आपूर्ति की अधियाचना प्रथमवार किये जाने पर, वाहन कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा Vehicle Management System (VMS) के fuel menu में जाकर सर्वप्रथम लॉग-बुक या निबंधन संख्या की प्रविष्टि कर वाहन के भौतिक स्थिति की जाँच की जायेगी कि वाहन Vehicle Management System (VMS) के अन्तर्गत Reported है अथवा नहीं।

वाहन Reported नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का भौतिक सत्यापन कर वाहन को Vehicle Management System (VMS) के अन्तर्गत Vehicle Reporting menu में इसकी प्रविष्ट की जायेगी।

इसके पश्चात् Tagged Person का चुनाव fuel menu के Dropdown से करेगें एवं Tagged Person का नाम एवं पदनाम प्रविष्ट करेंगे।

(ii) ऐसे भी हो सकता है कि एक वाहन कई मतदान केन्द्रों के मतदान कर्मी के साथ Tagged हो, वहाँ Tagged Person का चुनाव fuel menu के Dropdown से Election Personnel चुनाव करते हुए Tagged person name के स्थान पर संबंधित मतदान केन्द्र का नाम स्पेश देकर एवं पदनाम में पदनाम/मतदान केन्द्र संख्या अंकित कर दी जायेगी।

(iii) वाहन यदि किसी कोषांग के साथ Tagged है, वहाँ Tagged Person का चुनाव fuel menu के Dropdown से करते हुए Tagged person name में कोषांग का नाम एवं अधियाचना पत्र संख्या अंकित की जायेगी।Tagged Person की प्रविष्टि के बाद **"ईंधन की आपूर्ति पूर्ववत कूपन व्यवस्था"** के माध्यम से की जाएगी एवं आपूर्ति किये गये ईंधन की प्रविष्टि VMS के fuel menu में की जायेगी।

(iv) अधिग्रहित/सरकारी वाहनों में ईंधन की आपूर्ति प्रतिनियुक्त कर्मी/पदाधिकारी द्वारा वाहन परिचालन के संबंध में लॉग-बुक के जाँचोपरांत की जायेगी। पूर्व आपूर्तित ईंधन का उपयोग करने वाले Tagged Person द्वारा उसमें किये गये परिचालन की सही-सही प्रविष्टि कराई जाय तथा इसकी जाँच की जाए।

(v) जिलों में निर्वाचन कार्य में 10%से 20%के बीच वाहनों का परिचालन दिन-प्रतिदिन (Day-to- Day) होता है। अतएव प्रभारी पदाधिकारी उक्त वाहनों में ईंधन आपूर्ति करने के पूर्व विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके परिचालन एवं आपूर्तित ईंधन की प्रविष्टि दिन-प्रतिदिन (Day-to-Day) Vehicle Management System (VMS) के fuel menu में कर दी जाए।

(vi) बिना परिचालन के वाहनों में ईंधन की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी।

(vii) अधिग्रहित/सरकारी वाहनों में प्रति लीटर ईंधन खपत पर औसत तय की जाने वाली दूरी का निर्धारण परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अद्यतन पत्र के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे। यह पत्र Vehicle Management System (VMS) के Instruction Menu में भी उपलब्ध है।

(viii) अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान परिवहन विभाग के अद्यतन पत्र द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जाएगा।

(12) <u>अद्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के साथ संलग्न वाहनः-</u> बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में प्रथम चरण के निर्वाचन वाले जिले या वैसे जिले जहाँ अद्धसैनिक बलों/पुलिस बलों द्वारा Reporting किया जाता है, उक्त जिले द्वारा इन्हें निर्दिष्ट समर्पित वाहन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग इनके द्वारा निर्वाचन समाप्ति तक किया जा सकेगा । ऐसे वाहनों के लिए कोषांग में अलग से कर्मी/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर/काउंटर कर्णांकित कर दिए जायेंगे।

अद्धसैनिक बलों/पुलिस बलों हेतु सम्बद्ध वाहन में Tagged Person का चुनाव fuel menu के Dropdown में जाकर CPF/Police चुनते हुए Tagged person name की जगह कम्पनी का नाम एवं अधियाचना पत्र संख्या अंकित की जायेगी। ऐसे वाहनों के मुआवजे एवं ईंधन की आपूर्ति कंडिका (VIII) एवं (IX) में अंकित विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। **"ईंधन की आपूर्ति पूर्ववत कूपन व्यवस्था"** के माध्यम से की जाएगी एवं आपूर्तित ईंधन एवं मुआवजा की प्रविष्टि Vehicle Management System में तुरंत कर दी जाएगी।

(13) <u>निर्वाचन के दौरान दुर्घटना की स्थिति में</u> :-अधिग्रहित वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में चालक/सह-चालक की मृत्यु, आंशिक विकलांगता एवं स्थायी विकलांगता की स्थिति तथा घायल होने की स्थिति में वित्त विभाग के अद्यतन संकल्प से आच्छादित किया जाएगा।

(14) <u>अधिग्रहित वाहनों की विमुक्ति</u> :-निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् वाहन कोषांग द्वारा अधिग्रहित वाहनों को अंतिम भुगतान करते हुए यथाशीघ्र विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। अधिग्रहित वाहनों की विमुक्ति से पूर्व प्रभारी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग सुनिश्चित करेंगे कि वाहनों का शत्-प्रतिशत् (100%) राशि का भुगतान किया गया है। वाहनों की विमुक्ति आदेश हेतु Vehicle Management System (VMS) में Release/Transfer/Final Payment Menu में जाकर System Generated अंतिम भुगतान गणना पत्र प्राप्त किया जायेगा तत्पश्चात् उसका मिलान लॉग-बुक से वाहन कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा करते हुए अंतिम भुगतान किया जायेगा। भुगतान के पश्चात् System Generated विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाए। विमुक्ति आदेश की एक प्रति कार्यालय में संरक्षित रखी जायेगी।

यदि किसी कारण से मुआवजे का अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके कारणों को Vehicle Management System (VMS) के Remarks Column में अंकित करेंगे।

साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चत करेंगे कि चुनाव समाप्ति के पश्चात भौतिक रूप से अधिग्रहित वाहनों के विमुक्ति के साथ ही विमुक्त वाहन VMS में Online रूप से परिचालित दृष्टिगत नहीं हो यानी VMS पर भी विमुक्त वाहन का परिचालन बंद हो जाय ताकि लॉग बुक एवं VMS प्रविष्टि में समरूपता सुनिश्चित हो सके।

(15) <u>निर्वाचन के दौरान अभावग्रस्त जिलों को वाहन अधिकता वाले जिले से वाहन की आपूर्ति:-</u> राज्य के कई छोटे जिले जहाँ मध्यम एवं बड़े व्यवसायिक वाहनों का निबंधन काफी कम संख्या में है, वैसे जिलों को वाहनों के बाहुल्यता वाले जिलों से वाहन आपूर्ति की जायेगी। ऐसे मामले में अधियाचित जिले द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ दाता जिले में जाकर स्वयं वाहन प्राप्त किया जायेगा। दाता जिले के द्वारा वाहन का लॉगबुक, दूसरे जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति एवं VMS में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। दाता जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य हेतु उनके जिले के वाहन कोषांग के कर्मियों द्वारा अधियाची जिले को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाय साथ ही प्रमण्डलीय आयुक्त अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में वाहनों की आवश्यकता का आंकलन कर वाहनों की कमी वाले जिलों को वाहन बाहुल्य वाले जिलों से सम्बद्ध कर प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं।

(16) **वाहनों का भुगतान पंजियन प्रमाण-पत्र (RC Book) में अंकित वाहन मालिक के बैंक खाते में करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर (RC Book) में अंकित वाहन मालिक यह सूचना विहित प्रपत्र में लिखित रूप से किसी अन्य को करने हेतु देते हैं तो नामित व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है। उपर्युक्त लिखित सूचना को VMS पर उपलब्ध संबंधित प्रपत्र में अचूक रूप से अपलोड किया जाएगा ।**

(17) **अगर जिलों में पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से वाहन लिया जाता है, तो संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी परिवहन विभाग के निर्धारित दर अथवा उससे न्यून दर के आधार पर एकरारनामा कर एजेंसी को भुगतान करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम एजेंसी का पंजीकरण VMS में एजेंसी के लिए कर्णांकित प्रपत्र में किया जाएगा एवं उस एजेंसी का GST नम्बर अनिवार्य होगा।**

(18) निर्वाचन की प्रक्रिया में विद्यालयों के बसों का अधिग्रहण करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों के बसों का अधिग्रहण तीन दिनों से ज्यादा नहीं किया जा सके ताकि शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े।

(19) <u>नाव परिचालन</u>:- कतिपय दियारा क्षेत्रों में मतदान दल/सुरक्षा बल के आवागमण हेतु नाव का प्रयोग किया जाता है। नाव का परिचालन आपदा प्रबंधन विभाग के निर्धारित दर एवं SOP के अनुरूप किया जाएगा। इसका अधिग्रहण सामान्यतः अधिकतम 03 दिनों के लिए किया जाएगा तथा सिर्फ निबंधित नावों का ही प्रयोग उनकी भार क्षमता के अनुरूप किया जाए।

(20) <u>अन्यान्य</u> :-सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी वाहन अधिग्रहण से लेकर ईंधन आपूर्ति एवं मुआवजे भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता रखेंगे। उक्त वाहन कोषांग की सारी प्रक्रिया निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गयी Vehicle Management System (VMS) के माध्यम से की जायेगी। VMS की प्रविष्टियों की समीक्षा एवं अनुश्रवण अपने स्तर से करेंगे।

Vehicle Management System (VMS) से संबंधित User Manual निर्वाचन विभाग के वेबसाईट https://ceoelection.bihar.gov.in से Download किया जा सकता है।

वाहनों के अधिग्रहण, परिचालन, मुआवजा भुगतान तथा Vehicle Management System (VMS) में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने या जानकारी प्राप्त करने के लिए **श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना** के मोबाईल संख्या **9431855562,** उप सचिव, निर्वाचन विभाग, श्री किशोर कुमार के मोबाईल संख्या-9430964634 एवं **श्री मनीष कुमार, विभागीय सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट** के मोबाईल संख्या-**9308896955** पर संपर्क किया जा सकता है। परिवहन विभाग से संबंधित सूचना **कुमारी अर्चना, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना** के मो0 संख्या-**9430047866, श्री सोनू कुमार, प्रोग्रामर (मुख्यालय), परिवहन विभाग, बिहार, पटना के मो0 सं0-9123466023** से प्राप्त की जा सकती है।

नोट :-लॉगबुक की प्रविष्टि एवं VMS की प्रविष्टि में हर समय एकरूपता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश से अपने जिला के अन्तर्गत सभी निर्वाची पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को अवगत कराने की कृपा की जाये।

अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-01/निर्वाचन(बि0वि0स0)-07-08/2020 6828 पटना, दिनांक- 19/8/2025

प्रतिलिपिः-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अंपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-01/निर्वाचन(बि0वि0स0)-07-08/2020 6828 पटना, दिनांक- 19/8/2025

प्रतिलिपिः-आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधितों को ई-मेल करना सुनिश्चित किया जाय ।

अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रपत्र–I

(वाहन अधिग्रहण–पंजी प्रारूप)

क्र0सं0	वाहन निबंधन सं0	वाहन मालिक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	चालक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	वाहन अधिग्रहण की तिथि वा समय	सत्यापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर वा पदनाम	वाहन विमुक्ति की तिथि व समय	जिले में वाहन अधिग्रहण की कुल अवधि	देय मुआवजा का दर	देय मुआवजा की कुल राशि	तिथिवार भुगतान की गयी कुल अग्रिम राशि			शेष मुआवजा की कुल राशि	अन्य जिला हेतु स्थानान्तरण अथवा विमुक्ति तिथि	वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि	प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम
										तिथि	राशि	प्राप्तकतर्त्ता का हस्ताक्षर				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

प्रपत्र–II

(वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

जिला का नामः

प्रमाण पत्र सं0–　　　　　　　　　दिनांक–

1. वाहन निबंधन संख्या :
2. वाहन मालिक का नाम एवं पता :
3. चालक का नाम पता :
4. अधिग्रहण की तिथि व समय :
5. (क) विमुक्ति की तिथि व समय :
   (ख) अन्य जिला के लिए स्थानान्तरण की तिथि व समय :
   (ग) स्थानान्तरित किए जाने वाले जिले का नाम :
6. मुआवजा का दर :
7. कुल मुआवजा राशि :
8. भुगतान की गयी अग्रिम मुआवजा की राशि :
9. शेष भुगतेय कुल मुआवजा राशि :

अतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में निर्वाचन/विधि व्यवस्था कार्य के प्रयोजनार्थ जिला.. में दिनांक–.........................से दिनांक.....................................तक कुल...............................दिनों तक अधिग्रहित रखा गया है। उक्त वाहन के लिये यथा उपर्युक्त शेष मुआवजा राशि का भुगतान जिला दण्डाधिकारी,.................... के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण पत्र उपस्थापित करने पर पूर्व निर्धारित तिथि को , जो समाचार पत्रों के माध्यम से संसूचित की जाएगी, वाहन स्वामी अथवा उनके विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर एवं पदनाम

लॉगबुक का नमूना

जिला – ....

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025

लॉगबुक संख्या–...

1. वाहन का किस्म...
2. निबंधन संख्या..बैठान क्षमता...
3. चालक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0..
4. वाहन मालिक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0..
5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या..
6. अधिग्रहण की तिथि..

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न
7. वाहन विमुक्ति की तिथि..

   समय..पूर्वाह्न/अपराह्न

नोडल पदाधिकारी/सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वाहन कोषांग..................

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

नोट :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निर्वाचन कार्य से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों, इस लॉगबुक के नमूने के अनुरूप, पीले रंग का; विधि व्यवस्था कार्य से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों हेतु लाल रंग का; राज्य पुलिस बल से संबंद्ध व्यवसायिक वाहनों के लिए हल्के हरे रंग का एवं निर्वाचन कार्य से संबंद्ध सरकारी वाहनों के लिए उजले रंग का अलग–अलग लॉगबुक प्रकाशित करायेंगें।

वाहन–आवंटन की विवरणी

तिथि	पदाधिकारी का नाम एवं विवरण–पेट्रोलिंग पार्टी/जोनल पार्टी/सेक्टर पार्टी आदि का विवरण जिन्हें वाहन आवंटित किया गया।	वाहन लौटाने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4

लॉगबुक का नमूना

जिला – ....

आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025

कर्म पुस्तिका संख्या–...

राज्य पुलिस बल से संबंद्ध व्यवसायिक

1. वाहन का किस्म..

2. निबंधन संख्या...बैठान क्षमता...

3. चालक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0...

4. वाहन मालिक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0...

5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या...

6. अधिग्रहण की तिथि...

   समय...पूर्वाह्न/अपराह्न

7. वाहन विमुक्ति की तिथि...

   समय...पूर्वाह्न/अपराह्न

नोडल पदाधिकारी/सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग..................

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

<u>चुनाव अवधि में प्राप्त किये गये ईंधन/अग्रिम की विवरणी</u>

ईंधन की विवरणी (मात्रा लीटर में)					अग्रिम राशि की विवरणी (प्राप्त की गई राशि)		
तिथि	पेट्रोल	डीजल	मोबिल	अन्य	तिथि	अंको में	अक्षरों में

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	2	3	4

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

दिये गये ईंधनादि/अग्रिम की गणना / शुद्ध भुगतेय/वसूलनीय राशि

समाहरणालय............................
(आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025)
वाहन कोषांग

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन चालकों/मालिकों एवं कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायकों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश :–

1. निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के चालक वाहन कोषांग में रिर्पोट करते हीं, संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति के साथ लॉग बुक खोलनेवाले एवं अन्य कार्यो के लिए निर्धारित काउन्टर पर पहुँचकर लॉग बुक खुलवा लेंगे। इन कागजातों के प्रस्तुत किए बिना अग्रिम इत्यादि के भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।

2. कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक ऐसे अधिग्रहित वाहनों के कोषांग में रिर्पोट करते हीं वाहन चालकों से संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति कराकर लॉग बुक खोलेंगे।

3. काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक लॉग बुक के सभी स्तम्भों की प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगें तथा वाहनों के चालकों/मालिकों से उपयुक्त वांछित कागजातों की छायाप्रति प्राप्त कर लेंगे, तदुपरान्त लॉग बुक हस्ताक्षर के लिए पदाधिकारी के समक्ष रखेंगें तथा अग्रिम विपत्र.तैयार करेंगें।

समाहरणालय.............................

(आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025)

वाहन कोषांग

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित्त अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा की गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी :–

1. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–......................... दिनांक–............................... द्वारा जिलों को संसुचित पत्र के आलोक में की जाएगी। ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजे की गणना वाहन अधिग्रहण की तिथि एवं वाहनों की विमुक्ति की तिथियों को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों की तिथि के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा। (राज्य परिवहन आयुक्त का पत्रांक .... दिनांक ....)

2. ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना वाहनों को दिये गए अग्रिम और ऐसे वाहनों में समय–समय पर आपूर्ति ईंधनादि के आलोक में तय की गई दूरी (सरकार द्वारा निर्धारित) इत्यादि के समायोजन के पश्चात अवशेष राशि जो देय होगी, इसका भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ... द्वारा आदाता चेक के माध्यम से उचित पहचान पत्र यथा वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, वाहन विमुक्ति आदेश प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

3. मुआवजा भुगतान की सूचना हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी।

समाहरणालय.............................

(आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025)

वाहन कोषांग

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक जानकारी :–

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2025 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–......................... दिनांक–...............................द्वारा निर्धारित की गई है। जिसकी प्रति मांगने पर जिला स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है। .... जिलें में निर्वाचन कार्यो के लिए अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के मुआवजा का भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के प्रायः एक माह के अन्दर कर दिया जाता है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों को देय मुआवजा का शत् प्रतिशत भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के एक माह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ...द्वारा वाहन विमुक्ति आदेश (मूल प्रति), वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ–साथ उचित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आदाता चेक द्वारा किया जाएगा।

2. देय मुआवजा प्राप्ति में विलम्ब नही हो इसके लिए ऐसे अधिग्रहित सभी व्यवसायिक वाहनों के चालक/मालिक निर्वाचन कार्य समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित वाहनों का लॉग बुक पूर्ण प्रविष्टियों के साथ (जिसके द्वारा वाहन निर्वाचन कार्य में प्रत्युक्त किया गया है, उनके हस्ताक्षर के साथ) वाहन कोषांग में जमा करा कर वाहन विमुक्ति का आदेश प्राप्त कर लेंगे।

3. समय पर लॉग बुक जमा नही करने पर मुआवजा भुगतान में हुए विलंब के लिए वाहन चालक/मालिक स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।

4. व्यवसायिक वाहनों को शत् प्रतिशत मुआवजा के भुगतान की तिथियाँ ससमय प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगीं।